



26/11

दस्तावेज 2280709

2286/10

नव योजना केंद्र, 10 अंशक मार्ग, जयपुरक-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1983/05/76/एक/2015-16
सेवा में,

दिनांक : 10 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद हापुड।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दुहा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0198000102287147	IFSC Code PUNB0019800	23.762

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 हापुड	मजीदपुरा कालोनी भाग-बी में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.826
2	हापुड	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 हापुड	सददीकपुरा कालोनी भाग-ए में इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	11.936
	योग				23.762

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनांतर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- राजस्व सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनका सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनांतर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रेष्ठ से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाधता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनुमति अन्य विभागों से लेना पड़े तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राणियों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये। ✓



26/2

दस्तावेज- 226/208

22667/19

नगर योजना सं.- 80 अर्थात् नगर, नकल- 226-191

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 1- योजनाओं को सूचना उपलब्ध कराने से पूर्व सम्बन्धित नगर विभागों को सूचना देकर देना जाना चाहिए ताकि भाषण में उल्लिखित बातें पत्रों में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। इसके लिये आवश्यक है कि परिसर/प्रकल्पों के सूचना के पूर्व ही स्थानीय विभागों को सूचना दी जा सके।
- 2- योजनाओं की अनुमति को जो भी धनराशि का उपयोग प्रस्ताव वर्ष 2015-16 में उपलब्ध करा दिया जाये तथा उपयोजित प्रमाण एवं प्रस्ताव अधिसूचना धनराशि अभिकरण को प्रेषित करने में उपलब्ध करा दी जाये। निर्धारित अधिसूचना के उपरान्त उपयोजित प्रमाण पत्र/अधिसूचना धनराशि अभिकरण को भेजी जाना होती है तो योजना द्वारा निर्धारित धनराशि अनुमति की गई धनराशि पर देय होगी।
- 3- उपर्युक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नद में व्यय की जानेगी एवं स्वीकृत प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर उपर्युक्त धनराशि को प्रेषित करने के लिये कि वे प्रस्तावित प्रकल्प धनराशि से ही समर्थ हो पाये।
- 4- प्रस्तावित प्रकल्पों में सुधार के पूर्व ही प्रस्तावित धनराशि का हटा देना ही सही होगा ताकि धनराशि अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार ही व्यय किया जा सके।
- 5- अनुमति की जो भी धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा उसके लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का प्रस्तावित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर अनुमति की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अनुमति की जा रही है। उपरोक्त धनराशि को यदि कार्य/धनराशि की आवश्यकता होती है तो नगरीय नगरीय विकास अभिकरण मुख्यालय को सूचना देकर सुनिश्चित करें। अधिसूचना की शिवाय वे धनराशि के प्रस्तावित प्रकल्पों को प्रस्तावित कर सकते हैं।
- 6- योजना द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के लिये निर्धारित धनराशि अनुमति की गई है किन्तु अनुमति लेटेज की धनराशि एवं निर्धारित धनराशि में 20 प्रतिशत की धनराशि को धनराशि अनुमति की जा रही है। उपर्युक्त धनराशि के सम्बन्ध में उपयुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर धनराशि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रावधानों पर धनराशि को देना आवश्यक होता है धनराशि को प्रेषित करने के लिये धनराशि को प्रेषित किया जा सके।

सहायक,

(नरेश प्रताप सिंह)
वित्त निदेशक

- पत्रों में दिनांक तदैव
 प्रस्तावित धनराशि को सूचना प्रेषित।
 1. धनराशि निर्देशक जिला सहायक विकास कार्य प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर।
 2. धनराशि अभिकरण को सूचना।
 3. धनराशि संत/लेखा विभाग को सूचना।

(नरेश प्रताप सिंह)
वित्त निदेशक